World Bank aid for earthquake victims in Maharashtra

2091. CHOWDHRY HARI SINGH:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra has sought World Bank aid for the rehabilitation programme for victims of the quake-ravaged Latur-Osmanabad belt;

(b) if so, what are the details of the World Bank aid sought, indicating the nature and extent of aid and of the rehabilitation programme: and

(c) what is the World Bank's response thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. ABRAR AHMED): (a) Yes. Sir.

(b) and (c) The World Bank is expected to provide a total package of approximately dollar 250.0 million to finance a Maharashtra Emergency Earthquake Rehabilitation Project. The project covers components of housing reconstruction, repair and strengthening of damaged infrastructure such as water supply, roads & bridges, hospitals, primary health centres, school buildings, and also historic monuments. Funds are also provided for social, economic and community rehabilitation, as also disaster management, earthquake monitoring and research. Negotiations with the World Bank for this project are currently underway, wherein the quantum of the World Bank assistance would finally be decided.

क्रेडिट कार्ड सुविधा

2092. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ;

(ख) यदि हा, तो क्या यह सच है कि कतिपय बैंकों द्वारा धोखा धड़ी की घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु फोटो -क्रेडिट-कार्ड जारी किये जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी बैंकों को केवल फोटो -क्रेडिट -कार्ड जारी करने हेतु कतिपय दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नही तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए ग्राहकों के फोटोग्राफ लेने की पद्धति शुरू करने के बारे में बैंको को कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मार्गनिर्देश जारी करना जरूरी नही समझा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड संगठन, जिसके साथ क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले अधिकांश बैंक का सहयोग (टाई अप) है, द्वारा निर्धारित धोखाधड़ी का पता लगाने के विभिन्न उपायों को स्वयं ही लागू कर दिया है।

Racket in evasion of customs duty by garment exporters

2093. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the two articles, "Exporters Arrested" and "Racket in evasion of customs duty unearthed", appeared in the India nExpress (Madras Edition) dated 15th February, 1994;

(b) if so, what are tre details thereof and of other similar cases lodged against arrying garment exporters by DRI for misuse of DEEC/ALS facility, giving their names and other details; and

(c) whether such exporters have been barred from holding the position of officers in the Export Promotion Councils and other Government aided Committees and Corporations, if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. Whereas the first article captioned "Garment Exporters Arrested" appeared in Indian Express (Madras Edition) dated 16th February, 1994, the second article appeared in the Hindu (Madras Edition) dated 16th February, 1994.

(b) Three persons, namely, Shri Bharat Bhushan Goyal, partner of M|s Goyal Dresses, Madras, Shri Rajesh Bhansali, Director, M|s. Bhansali Garments, Madras and Shri S. Vaidyanathan, Managing partner of M/s. Best Febrics, Madras were arrested on 14th February, 1994 by the officers of Directorate of Revenue Intelligence, Madras for their involvement in the evasion of customs duty in the import of label tapes and nylon tafetta under the Duty Exemption Scheme. Duty involved is approximately Rs. 48 lakhs.

Three other cases involving misdeclaration of goods, diversion of materials imported and violation of Input Output norms have been detected by Directorate of Revenue Intelligence.

(c) Export Promotion Councils and other similar bodies are autonomous and regulate their own affairs. There is no provision in the Exim Policy to bar such exporters from holding positions in the Managing Committee of Export Promotion Councils.

स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं को हो रहे घाटे

2094. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर की ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है जो इस समय घाटे में चल रही है और ऐसी प्रत्येक शाखा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन्हें लाभकारी शाखाओं में बदलने हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है अथवा 1 अप्रैल, 1994 से उन्हें बन्द करने का विचार है ; और

(ग) क्या वित्त मंत्रालय स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कार्य प्रणाली/नीतियों में आवश्यक उधार करने पर विचार कर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) स्टेट बैंक आफ इंदौर के अनुसार, जनवरी, 1994 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 39 शाखाएं (5 सेवा शाखाओं को छोड़कर जो कोई भी कारोबार नहीं कर रहीं हैं । घाटा उठा रही है । इन शाखाओं का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

श्रेणी	शाखाओं की संख्या
महानगरीय	5
शहरी	7
अर्ध-शहरी	2
ग्रामीण	25
जोड़	39

(ख) और (ग) स्टेट बैंक आफ इंदौर, इन शाखाओं को लाभ कमाने वाली शाखाओं के रूप में बदलने के लिये संगठित प्रयास कर रहा है । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च 1993 में घाटा उठाने वाली शाखाओं की संख्या 64 से कम हो कर, जनवरी, 1994 में 39 रह गई ।

स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों को देय ब्याज राशि

2095. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1401 के दिये गये